



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2006
कार्तिक 26, 1928 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1284/79-वि-1-01(क)32-2006
लखनऊ, 17 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006, पर दिनांक 16 नवम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन)
अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
28 सन् 2005 का
सामान्य संशोधन

2-डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, में शब्द "राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश अधिनियम", "राष्ट्रीय विधि संस्थान" और "संस्थान" जिसमें श्रीर्षक, पार्श्व शीर्षक संक्षिप्त नाम और परिभाषा भी है, जहाँ कहीं भी आए हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम", "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय" और विश्वविद्यालय रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, खण्ड (चौदह) में, शब्द "उपाचार्य पदों" के स्थान पर शब्द "सह/सहायक आचार्य पदों" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) में शब्द "कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना" के स्थान पर शब्द "कम से कम दस दिन की सूचना" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 16 में, खण्ड (दो) में शब्द "प्रयोजन के लिये विनियमावली द्वारा गठित" के स्थान पर शब्द "धारा 25 के अधीन इस रीति से गठित जैसी विहित की जाय" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का
संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में शब्द "पन्द्रह दिन से अन्यून की नोटिस" के स्थान पर शब्द "दस दिन से अन्यून की नोटिस" रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का
संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में, खण्ड (सात) में शब्द "संस्थान के उपाचार्यों और प्राध्यापकों" के स्थान पर शब्द "विश्वविद्यालय के सह आचार्यों/सहायक आचार्यों और प्राध्यापकों" रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का
संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में, खण्ड (तीन) (ख) में शब्द "संस्थान प्रशासन के क्षेत्र के" के स्थान पर शब्द "विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र के" रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का
संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 27 में,-

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे व्यक्तियों में से" के स्थान पर शब्द "विख्यात शिक्षाविद या शिक्षा शास्त्री या विधि के क्षेत्र के विख्यात आचार्यों में से", रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) में शब्द "जब तक वह पैसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता/लेती है, जो भी पहले हों" निकाल दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना एवं निगमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2005) को अधिनियमित किया गया है। उक्त संस्थान को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने और अध्यापन स्टाफ को राष्ट्रीय विधि संस्थानों के समकक्ष किये जाने, महापरिषद् एवं कार्य परिषद् के अधिवेशनों को विनियमित करने, अध्यापकों के चयन में कार्यपरिषद् को और अधिक अधिकार देने व निदेशक की अर्हता एवं अधिवर्षिता की आयु को राष्ट्रीय स्वरूप की अन्य विधि संस्थानों के समतुल्य करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1284(2)/79-V-1-1(ka)32-2006

Dated Lucknow, November 17, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2006.

DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA RASHTRIYA VIDHI SANSTHAN UTTAR
PRADESH (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006

(U. P. ACT NO. 35 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

furth^r to amend Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan
Uttar Pradesh Adhiniyam, 2005.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

- | | |
|---|---|
| 1. This Act may be called Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006. | Short title |
| 2. In Doctor Ram Manohar Lohia Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh Adhiniyam, 2005, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh Adhiniyam" "Rashtriya Vidhi Sansthan" and "Sansthan" wherever occurring including heading, marginal headings, short title and definitions the words "National Law University Uttar Pradesh Act", "National Law University" and "University" shall respectively be <i>substituted</i> . | General amendment in U. P. Act no. 28 of 2005 |
| 3. In section 5 of the principal Act, in clause (xiv) for the words "readership", the words "Associate/Assistant Professorship" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 5 |
| 4. In section 12 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "at least fifteen days notice", the words "at least ten days notice" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 12 |
| 5. In section 16 of the principal Act, in clause (ii) for the words "constituted by regulations for the purpose", the words "constituted under section 25 in such manner as may be prescribed", shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 16 |
| 6. In section 18 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "fifteen days notice", the words "ten days notice" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 18 |
| 7. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (vii) for the words "the Readers and Lecturers of the Sansthan", the words "the Associate Professors/Assistant Professors and Lecturers of the University" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 21 |
| 8. In section 25 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (iii) (b) for the words "in the field of Sansthans administration", the words "in the field of the administration of this University" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 25 |
| 9. In section 27 of the principal Act,- | Amendment of section 27 |
| (a) In sub-section (1) for the words "from amongst persons". the words "from amongst eminent academicians or educationist or professors of eminence in the field of law" shall be <i>substituted</i> . | |
| (b) In sub-section (4) the words "are till he/she completes the age of sixty-five years, whichever is earlier" shall be <i>omitted</i> . | |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Doctor Ram Manohar Lohia Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh Adhiniyam, 2005 (U.P. Act, no. 28 of 2005) has been enacted to provide for the establishment and incorporation of a National Law Institute at Lucknow in Uttar Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto. With a view to giving the said institute a comprehensive national character and for uniformity in teaching staff with the National Law Institutions, regulating the meetings of the General Council and the Executive Council, giving more powers to the Executive Council in the selection of teachers, equality in the qualifications and superannuation age of the Director with other law institutes of national character, it has been decided to amend the said Act.

Doctor Ram Manohar Lohia Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2006 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.